उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, वाराणसी क्षेत्र के काशी डिपो कार्यशाला व बस स्टेशन काशी डिपो पर साइलेन्ट फीचर जनरेटर किराये पर लगाये जाने हेतु निविदा।

टेण्डर–सूचना

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, वाराणसी क्षेत्र के काशी डिपो कार्यशाला व बस स्टेशन काशी डिपो हेतु मासिक किराये के आधार पर 63 के0वी0ए0 के साइलेन्ट फीचर जनरेटर सेट नया एवं ब्राण्डेड (किर्रलोस्कर,कमिन्स,जीलैण्ड,महिन्द्रा एवं जैक्सन आदि) लगाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे निम्न शर्तो के आधार पर 03 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर जनरेटर लगाये जाने हेतु अपनी निविदायें/प्रस्ताव अपने लेटर पैड पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 14–10–2016 तक समय 15.00 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत कर सकते है। निविदा प्रपत्र दिनांक 06–10–2016 से किसी भी कार्यालय दिवस में रुपया–100.00 निर्धारित धनराशि का भुगतान कर प्राप्त कर सकते है। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले निविदाओं/प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। और निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जायेगा। तीन वर्ष उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने पर पुनः अनुबन्ध 02 वर्ष हेतु नवीनीकरण किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

शर्ते–

1–जनरेटर की क्षमता 63 के0वी0ए0 की होनी चाहिए।

2–निविदा स्वकृत होने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर नया जनरेटर सेट ब्राण्डेड लगाना होगा।

3–जनरेटर का संचालन निविदाकर्ता द्वारा अपने प्रतिनिधि से कराना होगा। जनरेटर पावर बैकअप की सुविधा 24 घंटे के आधार पर उपलब्ध करानी होगी। जनरेटर खराब होने की स्थिति में संचालक को दूसरा जनरेटर तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

4–समस्त व्यय जैसे जनरेटर के आपेटर, डीजल, मेन्टेनेन्स, मेन्टेनेन्स से सम्बन्धित सामान, कलपुर्जो एवं अन्य कर इत्यादि विविदादाता द्वारा देय होगा।

5–जनरेटर की लागबुक निविदादाता को बनानी होगी जिसपर जनरेटर के प्रत्येक बार स्टार्ट एवं बन्द होने का समय डिपो फोरमैन द्वारा अंकित किया जायेगा।

6–निविदादाता को निम्न प्रकार से अपना आफर प्रस्तुत करना होगा–

" यदि डीजल की व्यवस्था संचालक द्वारा स्वतः की जाती है तो मासिक किराया एवं प्रति घंटा रनिंग काष्ट(रुपयें में) क्या होगी।"

7–सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,काशी डिपो द्वारा मासिक किराये के जनरेटर की बिल, कार्यशाला प्रभारी , स्टेशन अधीक्षक, डिपो लेखाकार से सत्यापन के बाद प्रतिहस्ताक्षरित कर इस कार्यालय को प्राप्त होने के वाद आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा।

8–प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

9–जमानत के रुप में धनराशि रुपया दस हजार(रु0 10000.00) का अर्नेस्टमनी का बैक ड्रफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम, वाराणसी के नाम होगा, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9–किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार कियो जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

10–निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि एवं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के मध्य अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा एवं अन्य औपचारिकतायें निविदादाता द्वारा पूर्ण करनी होगी।

Downloaded from www.upsrtc.com

11–निविदादाता को पैनकार्ड, सर्विस टैक्स पंजीयन, टिन नम्बर व फर्म के पंजीयन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति साथ में देना अनिवार्य होगा।
12–अनुबन्ध की अन्य शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आकर देखा जा सकता है।

(राजीव आनन्द)
सेवा प्रबन्धक
वाराणसी

कार्यालय सेवा प्रबन्धक
उ0 प्र0 परिवहन निगम
वाराणसी

पत्रांक–वारा0 / से0प्र0 / किराये का जनरेटर / 1123 / 16 दिनांक 06–10–2016

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्राविधिक / संचालन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2–प्रधान प्रबन्धक(विविध / एम0आई0एस0), परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ।
3–नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी।
4–क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम वाराणसी।
5–सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) उ0 प्र0 परिवहन निगम वाराणसी।
6–सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(एम0आई0एस0), परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ को परिवहन निगम की बेबसाईड पर विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ।
7– सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 परिवहन निगम काशी को इस आशय से कि वह बस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर इस विज्ञप्ति की प्रति चस्पा कराना सुनिश्चित करे।
8–नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय प्रबन्धक / सेवा प्रबन्धक, कार्यालय उ0 प्र0 परिवहन निगम वाराणसी।

सेवा प्रबन्धक
वाराणसि

Downloaded from www.upsrtc.com